न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–95/2016
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम जय प्रकाश ठाकुर एवं अन्य

3८५/७

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.01.2019	आदेश विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद वाद अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक –1176/उ0, दिनांक–12.09.2016 से प्राप्त उत्पाद वाद सं0–194/16 में जब्त मोटर साईकिल नं0–**BR7N-4502** (Hero Passion Pro) के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत राज्यसात् हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी। तत्पश्चात् विपक्षी इस वाद में उपस्थित हुए परन्तु वे दिनांक 04.11.2016 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। प्रत्युत्तर हेतु अन्तिम अवसर के पश्चात् भी अनुपस्थित रहे। अतः एकपक्षीय सुनवाई की गयी। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि बिठौली चौक पर वाहन जाँच के क्रम में मोटर साईकिल नं0– **BR7N-4502** पर सवार मोटर साईकिल चालक जय प्रकाश ठाकुर एवं पीछे बैठे व्यक्ति संजय कुमार यादव को रोकने पर मोटर साईकिल लेकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेर कर रोका गया। जाँच के क्रम में मोटर साईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति संजय कुमार यादव एवं चालक के बीच में एक झोला में से *180ml* का दो पीस Royal Stag for sale in Jharkhand सीलबन्द विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। वाहन के स्वामी के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन प्राप्त है। जब्त वाहन के स्वामी राम जीवन ठाकुर हैं, जो अभियुक्त जय प्रकाश ठाकुर के चाचा हैं। बिहार में पूर्णतः शराब बन्दी है। अवैध शराब का सेवन, परिवहन एवं चौर्य व्यापार दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त मोटर साईकिल को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के उत्पाद वाद सं0–194/16 में जब्त मोटर साईकिल नं0–**BR7N-4502 (Hero Passion Pro)** से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी वाहन स्वामी को प्रत्युत्तर हेतु अवसर देने के पश्चात् भी प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किये। वे दिनांक 04.11.2016 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अंतिम अवसर देने के बाद भी अनुपस्थित हैं, इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी। उत्पाद अधिनियम यथा संशोधित–2016 में अन्तर्गत अवैध शराब का परिवहन दण्डनीय अपराध है।	

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के उत्पाद वाद सं0–194/16 में जब्त मोटर साईकिल नं0–**BR7N-4502 (Hero Passion Pro)** को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/10/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा